कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० प्रदीप उराँव वगैरह से परमेश्वर उराँव वगैरह तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार वाद सं०– 48 /2022–23

केस का प्रकार– ....

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15-12-2022	आवेदक 1. प्रदीप उराँव पिता स्व० शनिचर उराँव 2. किशोर उराँव पिता स्व. बुधुआ उराँव ग्राम – बसिया थाना – बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा – बसिया के CS खाता नं. 16 प्लॉट नं० 766 अंश रकबा 0.65 ए० भूमि हुकुमनामा के मुताबिक चैता उराँव को मंगुआ उराँव पिता स्व० भूखा उराँव की वजरिये केवाला से प्राप्त है। हाल सर्वे की गड़बड़ी के कारण RS खाता नं० 94 एवं अंश प्लॉट नं० 1263 एवं अंश पतिया उराँव पिता स्व. करमा उराँव, बाहा उराँव पिता स्व. लघु उराँव, कोलवा उराँव को खदीया उराँव पिता स्व० सुकरा उराँव संयुक्त खाते में दर्ज हो गया है। जिसका कारण 1. बासो देवी पति स्व. पतिया उराँव 2. परमेश्वर उराँव पिता स्व० कोलवा उराँव 3. सुकर उराँव पिता स्व०	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ————————

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **वाद सं०– 01. /2022–23**

केस का प्रकार– ....

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	बाहि उराँव आदि भविष्य में दावेदारी कर सकते है। उक्त भूमि पर मेरा शांति पूर्वक दखल कब्जा है। हाल सर्वे में हुई गड़बड़ी से मेरे पूर्वज चैता उराँव को मनुआ उराँव से खरीदगी भूमि में मेरे पूर्वजों/जाम से ही लगान रसिद निर्गत करने के अनुरोध पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। उक्त पक्ष को नोटिस निर्गत करें। उक्त पक्ष अपने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे। अभिलेख दिनांक 12-1-23 को उपस्थापित करें।
	(हस्ताक्षर) 16/12/22 अंचल अधिकारी बालूमाथ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – सं० ________________ से ________________ तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार   विविध वाद सं०–38/2022–23

केस का प्रकार– प्रदीप उरांव वगैरह बनाम् बाढ़ो उरांव वगैरह

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षकार उपस्थित। आज आदेश हेतु तिथि पूर्व से निर्धारित थी। आवेदक प्रथम पक्षकार प्रदीप उरांव पिता शनिचर उरांव ग्राम बसिया थाना बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया कि मौजा बसिया सी०एस० खाता नं०-16 प्लॉट 766 व अन्य कुल रकबा 25.65 एकड़ भूमि हमलोगों के पूर्वज चैता उरांव व मतुआ उरांव पिता भुखा उरांव को केवाला से प्राप्त है। हाल सर्वे मे गड़बड़ी के कारण आर०एस० खाता 94 प्लॉट 1263 व अन्य पतिया उरांव, बाढ़ो उरांव, बोलवा उरांव, खदिया उरांव व अन्य के नाम से संयुक्त रूप से पाया गया है। जिसके कारण हमलोग लगान रसीद अद्यतन नहीं करवा पा रहे है और खेती बारी मे परेशानी हो रही है। प्रथम पक्षकार के द्वारा आग्रह किया गया कि सी०एस० खाता 16 मे प्राप्त भूमि के आधार पर आर०एस० खाता 94 मे चैता उरांव की भूमि का जमाबंदी अलग कायम किया जाए। प्रथम पक्षकार के द्वारा साक्ष्य के रूप मे सी०एस० खाता से कायम जमाबंदी, लगान रसीद इत्यादि उपलब्ध कराया गया है। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि उक्त सी०एस० खाता 16 मे संयुक्त सम्पत्ति पायी गयी थी इसलिए आर०एस० खाता 94 मे भी संयुक्त खाता पाया गया है। खतियानी रैयत चैता उरांव का अलग जमाबंदी कायम होने से आपस मे भूमि संबंधी विवाद होने की संभावना है इसलिए पूर्व मे कायम जमाबंदी को यथावत रखी जाए।	

Scanned with CamSc

उपरोक्त पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों, राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष पाये जाते है:-

1- यह भूमि मौजा बसिया, सी0एस0 खाता 16 प्लॉट 766 व अन्य कुल रकबा 25.65 एकड़ से संबंधित है। इसका आर0एस0 खाता 94 प्लॉट 1263 व अन्य कुल रकबा 22.03 एकड़ का बना है।

2- आर0एस0 खाता 94 के खतियानी रैयत पतिया उरांव वगैरह एक अंश, बंधुआ उरांव चार अंश, बाढ़ो उरांव, एक अंश, बोलवा उरांव दो अंश, मतुआ उरांव चार अंश के हकदार है। आवेदक के द्वारा केवल चैता उरांव का जमाबंदी कायम करने हेतु आवेदन दिया गया है। चूँकि चैता उरांव के पुत्र बंधुआ उरांव के नाम से आर0एस0 खाता इन्द्राज पाया गया है। इसलिए बंधुआ उरांव के नाम से उनके हिस्से मे पायी गयी कुल रकबा 17.96 एकड़ का जमाबंदी कायम किया जा सकता है।

चूँकि बंधुआ उरांव पिता चैता उरांव चार अंश के हकदार है। इसलिए बंधुआ उरांव के हिस्से मे कुल भूमि 53.87 एकड़ का चार अंश अर्थात 17.96 एकड़ पाया जाता है। शेष भूमि अन्य हिस्सेदारों को उनके हिस्से के अनुसार प्राप्त होगी।

3- बंधुआ उरांव पिता चैता उरांव का अलग जमाबंदी कायम करने हेतु राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आर0एस0 खाता 94 आर0एस0 प्लॉट 1263, 1271, 2061, 2062, 2057, 2105, 2099, 2060, 2095, 2081, 2082, 2092, 2123, 2127, 2138, 2263, 2274, 1250, 1265, 1269 रकबा क्रमशः 0.68, 1.87, 0.28, 0.34, 0.87, 0.18, 2.46, 0.86, 1.06, 0.97, 1.59, 0.87, 0.84, 0.65, 0.50, 5.52, 1.84, 0.44, 0.10, 0.38 एकड़ अर्थात कुल रकबा 22.03 एकड़ मे से जमाबंदी अलग किया जा सकता है।

4- बंधुआ उरांव पिता चैता उरांव के नाम से अलग जमाबंदी आर0एस0 खाता मे कायम करने का मुख्य आधार सी0एस0 पंजी-II के हो0नं0-34 मे चैता उरांव के नाम से जमाबंदी कायम है।

Scanned with CamSc

उपरोक्त सभी निष्कर्षो, तथ्यों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आर0एस0 खाता 94 के खतियानी रैयत बंधुआ उरांव पिता चैता उरांव के नाम से उनका अंश के अनुसार कुल रकबा 17.96 एकड़ भूमि का लगान रसीद निर्गत किया जा सकता है। ये 17.96 एकड़ भूमि आर0एस0 खाता 94 के प्लॉट संख्या-1263, 1271, 2061, 2062, 2057, 2105, 2099, 2060, 2095, 2081, 2082, 2092, 2123, 2127, 2138, 2263, 2274, 1250, 1265, 1269 रकबा क्रमशः 0.68, 1.87, 0.28, 0.34, 0.87, 0.18, 2.46, 0.86, 1.06, 0.97, 1.59, 0.87, 0.84, 0.65, 0.50, 5.52, 1.84, 0.44, 0.10, 0.38 एकड़ अर्थात कुल रकबा 22.03 एकड़ में से अलग जमाबंदी कायम की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी पक्षकार को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने की स्वतंत्रता होगी एवं सक्षम न्यायालय के आदेश फलाफल यह आदेश प्रभावित होगा। मेरे इस आदेश से उभय पक्षकारों, राजस्व कर्मी को अवगत करायें।

लेखापित एवं संशोधित

26/7/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

26/7/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by TRIPTI VIJAYA KUJUR
Date: 2024.08.08 12:35:07 +05:30
Location: 192.168.187.250

Scanned with CamSc